बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग,
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

का०आ०सं०-स्था०-01/वि० 3-21/2012/ 277 दिनांक:- 01-11-13

कार्यालय आदेश

निदेशालय के का०आ०सं०-168 सहपठित ज्ञापांक-1319 दिनांक- 05.07.2012 एवं का० आ० सं०-170 सहपठित ज्ञापांक-1323 दिनांक- 05.07.2012 द्वारा क्रमशः प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/क०सां० सहायक/अन्वेषक एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना नियमावली-2010 के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आदेशों में इन संवर्गो के कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में पे-बैण्ड एवं ग्रेड पे की स्वीकृति के पश्चात् देय वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने का उल्लेख था।

2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10041 दिनांक 03.11.2011 एवं तत्संबंधी शुद्धि पत्र के आलोक में रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना नियमावली-2010 के अन्तर्गत मूल कोटि के प्र०सां०पर्य०/क०सां०स०/अन्वेषक एवं स०सां०पदा० जिन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त हुआ है को दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से क्रमशः पे बैण्ड-2 में ग्रेड पे 4,600/- रू०, पे बैण्ड-2 में ग्रेड पे 4,800/- रू० तथा पे बैण्ड-2 में ग्रेड पे 5,400/- रू० देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-
(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- 2145 /पटना, दिनांक:- 01-11-13

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, बिहार, पटना।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना।
3. सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी।
4. प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
5. वरीय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
6. संयुक्त निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप निदेशक/वरीय अनुसंधान पदाधिकारी(आ० एवं व्ययन)/सभी सहायक निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
7. सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
8. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
9. प्रशाखा पदाधिकारी- स्थापना-1 एवं 2/संबंधित पटल प्रभारी सहायक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.11.2013

(शिवेन्द्र कुमार वर्मा)
उप निदेशक(स्थापना)